

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-111/2025- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० जया शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लहसूना, मसौढ़ी, पटना को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1734(25), दिनांक-20.08.2025 के आलोक में आदेश सख्या-575(2), दिनांक-17.03.2026 के द्वारा दिनांक-01.06.2025 से 30.09.2025 तक कुल-122 दिन शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 तथा सिविल सर्जन, पटना के पत्रांक-3762, दिनांक-24.03.2026 के पत्र के आलोक में डा० शर्मा को दिनांक-01.05.2026 से 31.05.2027 तक कुल-396 (तीन सौ छियानवे) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० जया शर्मा के पक्ष में 120 (एक सौ बीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-111/2025- 938(2) पटना, दिनांक 5/5/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मसौढ़ी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० जया शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लहसूना, मसौढ़ी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Waman 30/4/26
सरकार के उप सचिव।

६